न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 321/2015 Gcms No 2015/00152
दायरा तिथि : 27.10.2015
आदेश तिथि: 29.08.2024
प्रार्थीया :–
श्रीमति रवी देवी उर्फ रम्भा पुत्री स्व. चमनारामजी पत्नि स्व. लारारामजी जाति सिरवी निवासी खुडाला तह. बाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. नवा पुत्र मानाजी के का.मु.–
   1/1– स्व. भूरीदेवी पत्नि स्व. नवारामजी विलोपित फौत
   1/2– धनाराम पुत्र नवारामजी
   1/3– पोनी देवी पुत्री नवारामजी
   1/4– कंकुदेवी देवी पुत्री नवारामजी
   1/5– तलसी देवी पुत्री नवारामजी
   1/6– सुकी देवी पुत्री नवारामजी
   1/7– धापु देवी पुत्री नवारामजी
2. स्व. भुराराम पुत्र मानाराम चौधरी के का.मु.–
   2/1– पकाराम पुत्र भुराराम
   2/2–जगाराम पुत्र भुराराम
   2/3– रूपाराम पुत्र भुराराम
   2/4– मनाराम पुत्र भुराराम
   2/5– फुलाराम पुत्र भुराराम
   2/6–खीमीदेवी पुत्री भुराराम
3. स्व. चेलाराम पुत्र मानाराम के का.मु.–
   3/1–नेताराम पुत्र चेलाराम
   3/2–रताराम पुत्र चेलाराम
   3/3–किकाराम पुत्र चेलाराम
   3/4–प्रेमाराम पुत्र चेलाराम समस्त निवासीगण खुडाला
   3/5–शांति पुत्री चेलाराम पत्नि पुनारामजी पता– भधारिया अरट, सेसली तह. बाली
   3/6–कन्या पुत्री चेलाराम हाल निवासी गवई पिचका के पास बेडल
4. स्व. दुदाराम पुत्र मानाराम के का.मु.–
   4/1– जैताराम पुत्र दुदाराम
   4/2– हकाराम पुत्र दुदाराम
   4/3– रमेश पुत्र दुदाराम निवासी खोदी बा वाली सेरी, खुडाला
   4/4– ठणीया पुत्री दुदाराम निवासी–भीमजी वाला अरट, सेसली रोड बाली
   4/5– पवनी पुत्री दुदाराम निवासी–भीमजी वाला अरट, सेसली रोड बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपस्थिति:–
1. श्री हनुमानसिंह चौहान व रघुवीरसिंह चौहान............................ अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से
2. श्री अमृत परिहार .... अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1/2 व 2/4 की ओर से
3. श्री प्रदीप चौधरी..... .... अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1/3, 1/5 से 1/7 की ओर से
4. श्री मूलसिंह यादव............ अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 की ओर से
5. अप्रार्थी सं. 4 दुदाराम के समस्त का.मु–................................अनुपस्थित
6. नायब तहसीलदार, बाली ....पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक : 29/8/024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:– प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 385, 392, 391 कुल खसरा 03 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 489 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 502, 503, 504 कुल खसरा 12 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में प्रार्थीया को पुश्तैनी भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करने तथा 1/2 हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक प्रत्येक अप्रार्थी का 1/8, 1/8 हिस्सा इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा इसका

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं0 321/2015 GCMS No 2015/00152.
अनवान रबी देवी बनाम नवा के कामु भूरी देवी वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

आधार यह बताया गया कि वर्णित भूमि भू–प्रबंध पूर्व के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत 2027 से 2030 में स्वर्गीय भीमा के दोनों पुत्रों चमना व माना के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। प्रार्थीया स्वर्गीय चमना की इकलौती पुत्री है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 स्वर्गीय माना के वारिसान है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 240 स्वीकृति दिनांक 07.05.1972 के द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के पिता चमना पुत्र भीमा का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता माना पुत्र भीमा का 3/4 हिस्सा विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया। दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा खसरा पत्रक तैयार करते समय अपनी अधिकारिता से परे कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के हाल खसरा नंबर 489 से 496 तक व 501 से 504 तक में दर्ज सहखातेदार चमना पुत्र भीमा के बजाय नवा गोद चमना का 1/4 हिस्सा में नाम दर्ज किया जो प्रथम दृष्टया भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे कार्यवाही पर्चा खतौनी व खसरा पत्रक में करते हुये त्रुटिपूर्ण रूप से पर्चा लगान संख्या 176 में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के हाल खसरा नंबर 489 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 502, 503, 504 कुल खसरा 12 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में दर्ज कर दिया गया। जिससे प्रकरण में भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को दुरस्त करने के लिये प्रार्थीया ने अपने पुश्तैनी हक अनुसार 1/2 हिस्सा का खातेदार इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीया द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्न दस्तावेज पेश किये– नकल पर्चा खतौनी भू–प्रबंध संवत 2032, नकल जमांबंदी संवत 2031 से 2033, नकल पर्चा लगान संवत 2037 से 2056, नकल नक्शा, नकल जामबंदी संवत 2064 से 2069, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028, नकल जमाबंदी संवत 2027 से 2030, नकल जमाबंदी संवत 2044 से 2047, नकल जमाबंदी भू–प्रबंध 2037 से 56, नकल जनआधार योजना का रबी बाई, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, पेंशन पी.पी.ओ, निर्वाचक नामावली वर्ष 1979 भाग सं. 5 की प्रति, नगर पालिका खुडाला फालना के वार्ड सं. 16 के पार्षद ममता चौधरी द्वारा रबी बाई के नाम जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रमाण पत्र नेता प्रतिपक्ष न.पा. खुडाला फालना, शपथ पत्र रबी बाई, पेंशन खाते की नकल रबी बाई पुत्री चमनाराम, चेला पुत्र माना द्वारा नवाराम व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत बंटवाडा वाद सं. 67/07 के निर्णय की प्रतियां, अप्रार्थी नवा के का.मु. तथा दुदा व चेला के का.मु. के नोटिस अखबार में छाया कराये जाने की पुष्टि में दैनिक नवज्योति अखबार दिनांक 15.12.2022 की प्रति।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में अप्रार्थी सं 1 व 2 के वारिसान के आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भू–प्रबंध पूर्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज होना चाहिये तथा उस खातेदार का नाम भू–प्रबंध विभाग के रिकर्ड में दर्ज नही होने की स्थिति में ही वह खातेदार इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन कर सकता है। उक्त प्रकरण में पूर्व रेकर्ड में स्व. माना व चमना पिसरान भीमाजी का नाम खातेदारी में दर्ज था चूंकि दोनों खातेदार की मृत्यु हो जाने तथा चमना का गोदपुत्र नवा होने के कारण दौराने सेटलमेंट चमना के हिस्से में गोद पुत्र नवा के नाम का इन्द्राज किया गया। इस प्रकार इस प्रकरण में सेटलमेण्ट के दौरान किसी भी प्रकार की गलती नहीं होने से उक्त प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती की श्रेणी में नही आने से काबिल ऐ खारिज है। प्रार्थीनी श्रीमति रबी देवी चमना जी की पुत्री है कि नही एवं नवाजी स्व. चमना जी के गोदपुत्र है अथवा नही, इसका निस्तारण धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत नही किया जा सकता। इस बाबत पक्षकार को अपने खातेदारी हक की घोषणा करवानी कानूनन आवश्यक है। चमना जी व मानाजी के जीवनकाल में ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का बंटवाडा हो चुका था जिस बंटवाडा का नामांतरणकरण सं. 240 दिनांक 07.05.1972 को स्वीकृत हुआ था। जिस नामांतरणकरण से स्वर्गीय चमना पुत्र भीमाजी का 1/4 हिस्सा एवं माना पुत्र भीगाजी का 3/4 हिस्सा खातेदारी इन्द्राज कर दिये गये थे, जो बंटवाडा का नामांतरणकरण हाल सेटलमेंट संवत 2037 शुरू होने से पहले ही स्वीकृत हो चुका था । जिससे प्रकरण में सेटलमेंट विभाग की कोई त्रुटि नही होने से प्रार्थीया इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा की खातेदार इन्द्राज दुरूस्ती के जरिये दर्ज कराने की अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 के वारिसान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का जवाब प्रार्थी द्वारा पैरा वाईज निम्नानुसार पेश किया गया–

1. पद सं. 1 में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकार्ड में दर्ज चमना पुत्र भीमा के स्थान पर नवा गोद पुत्र चमना अंकन किया है जिसको दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है। भू–प्रबंध विभाग रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज में केवल बेचान, बक्शीश, वसीयत, हकतर्कनामा के आधार पर ही दर्ज इन्द्राजमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उसके तमाम वरिसान पत्नि, पुत्र, पुत्री को नोटिस देकर सुनवाई किये बिना दर्ज इन्द्राज में परिवर्तन नही किये जा सकते है। प्रार्थीया स्व. चमनाराम जी की इकलौती पुत्री है, जिसे जन्म से ही इस भूमि पर अधिकार प्राप्त होने से कानूनन दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारी है।
2. पद सं. 2 में उल्लेखित तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार किया तथा उल्लेखित किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व में खातेदार माना व चमना पिसरान भीमा 1/2 के अनुपात में

पेज लगातार.....03

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

दर्ज थे। दोनों की मृत्यु होना भी स्वीकार किया परंतु चमना के फौतेदगी का नामांतरणकरण बाद जांच के पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा खोलने के अधिकार है परंतु उक्त प्रकरण में सेटलमेण्ट अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता से परे कार्यवाही करते हुये रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से में चमना पुत्र भीमा के स्थान पर नवा गोद पुत्र चमना अंकन किया जिसकी पुष्टि पर्चा लगान में दर्ज इन्द्राज से साफ उजागर होती है। सेटलमेंट अधिकारी द्वारा नवा को चमना का गोदपुत्र दर्ज करते हुये सभी सहखातेदार के नाम बराबर हिस्से कर खातेदारी दी गई है। इस प्रकार एक तरफ नवा को चमना का गोदपुत्र बताया तथा दुसरी ओर माना के वारिसान नवा के अन्य भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज करना एक सोची समझी भूमि हजम करने की फर्जी कार्यवाही है। गोद बाबत सिविल न्यायालय को अधिकारिता है, जबकि सिविल न्यायालय का कोई ऐसा दस्तावेज/आदेश पेश नही किया गया है जिससे प्रार्थीया उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकार टिनेंसी एक्ट की धारा 40 के तहत प्राप्त है। उक्त प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिव जो वर्ष 1956 से है, स्व. माना के वारिसान 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी थे परंतु सेटलमेंट विभाग ने माना व चमना की समस्त भूमि में माना के वारिसान को गलत रूप से खातेदार दर्ज कराया।

3. आपत्ति के पद सं. 3 में वर्णित तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार किया। नवा चमना का गोदपुत्र है अथवा नहीं, अथवा प्रार्थीया चमना की इकलौती पुत्री है अथवा नहीं, इस तथ्य का विनिश्चियन करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश नही किया है बल्कि चमना का नाम हटा कर अप्रार्थीगण को उसके स्थान पर अवैध रूप से, बिना किसी निर्णय व आदेश के खातेदार दर्ज किया है , हिस्सों में भी बदलाव किया है, जिस हेतु दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जब अप्रार्थीगण स्वयं यह मानते है कि नवा गोद है अथवा नहीं, इसका निस्तारण रेवेन्यु एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता है, दुसरी तरफ अपना नाम इस आधार पर बिना किसी निर्णय व आधार के गोदपुत्र बता कर दर्ज करवाया है, जो बिना सिविल न्यायालय के घोषणा प्राप्त किये नही किया जा सकता है।

4. आपत्ति के पद सं. 4 में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। स्व. चमना द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवाडा नही किया गया परंतु अप्रार्थीगण ने कुटरचित तरीके से नामांतरणकरण सं 240 दिनांक 07.05.1972 को बंटवाडा का भरवा दिया। विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी भूमि का बंटवाडा न्यायालय की डिक्री अथवा समस्त पक्षकारों की सहमति से तहसीलदार द्वारा ही किया जा सकता है तथा उक्त बंटवाडे में भी हिस्साकस्सी कम किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज, बक्शीश, वसीयत, हकतर्क के बिना नही किया जा सकता जबकि चमना ने ऐसा कुछ भी दस्तावेज तकमील नही किया। जिससे तथाकथित नामांतरणकरण सं. 240 दिनांक 07.05.1972 कानून की दृष्टि में फर्जी दस्तावेज है।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन के पश्चात उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री हनुमान सिंह चौहान ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुयें दलील दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के गत खसरा नंबर 385, 391 व 392 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा सेटलमेंट से पूर्व चिमना, माना पिसरान भीमाजी के खातेदारी की रही है। जिन दोनों का स्वर्गवास सेटलमेंट से पूर्व हो गया था। चिमना के एक पुत्री प्रार्थीया रवी उर्फ रम्भा है तथा स्व. चमना के कोई पुत्र संतान नही थी, उसकी पत्नि का नाम चैनी बाई था जिनका स्वर्गवास चिमना के पूर्व ही हो गया था। स्व0 चिमना ने अपने जीवनकाल में किसी लडके को गोद नही लिया, जिससे उनकी एकमात्र वारिस संतान प्रार्थीया रवी उर्फ रम्भा है। जिस तथ्य की पुष्टि में प्रार्थीया स्वयं का शपथ पत्र तथा सरकारी दस्तावेज वृद्धावस्था पेंशन खाता की नकल, जनआधार योजना की नकल पेश की है जिसमें प्रार्थीया के पिता का नाम चमनाराम जी, माता का नाम चैनी बाई प्रार्थीया रवी बाई पत्नि लालाराम पुत्र हकाराम, मोहनलाल दर्ज है। इसी के साथ ही नगर पालिका खुडाला फालना के प्रतिपक्ष नेता एवं वार्ड नंबर 18 के सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की है तथा साथ ही पडोसी गवाह सागाराम पुत्र रावदाराम उम्र 67 वर्ष जाति रेबारी निवासी रेबारियों का वास खुडाला का शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रार्थीया के स्व पिता चमना द्वारा नवाराम को कभी गोद नहीं लिया व केवल मानाराम का पुत्र था। इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य विधानसभा क्षेत्र बाली की निर्वाचक नामावली वर्ष 1980 के भाग सं. 5 की प्रति से होती है। इस जिसमें कम सं. 472 पर नवा पुत्र माना, 473 पर भुरी पत्नि नवा की प्रविष्टियां दर्ज है। इस तथ्य की पुष्टि भू–प्रबंध की जमाबंदी संवत 2037 से 2056 में दर्ज नवा पुत्र माना कौम सिरवी सी.देह खातेदार खसरा नंबर 1578 में दर्ज होने से होती है। सेटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में चमना माना पिसरान भीमा के नाम वादग्रस्त भूमि में बहिस्सा बराबर दर्ज होते हुये नामांतरणकरण सं. 240 दिनांक 07.05.1972 बंटवाडा का अंकन कर गलत इन्द्राज किये तथा दौराने सेटलमेंट कार्यवाही माना के चारों पुत्रों ने भू–प्रबंध अधिकारी से साठ–गांठ करते हुये स्व चमना पुत्र भीमा के नवा पुत्र माना को गोद जाना बता कर भू–प्रबंध अधिकारी पार्टी नं 2 से दिनांक 29.10.1976 को पर्चा ----------

पेज लगातार 04

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं0 321/2015 GCMS No 2015/00152
अनवान रबी देवी बनाम नवा के कामु भूरी देवी वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पृष्ठ खसरा नंबर 489 से 496 तक व 501 से 504 तक चमना पुत्र भीमा के बजाय नवा गोद चमना का नाम दर्ज करवा दिया व पर्चा खतौनी भू–प्रबंध विभाग 260/176 में संपूर्ण भूमि को 1/4 के अनुपात में अवैध रूप से दर्ज करवा दिया। जबकि बंदोबस्त पूर्व की खतौनी संवत 2009 से 2030 में भी भूमि चमना, माना पिसरान भी सिरवी साकिन देह खातेदार दर्ज थी। भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि को जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में भी दोहराया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से प्रार्थीया स्व. चमना की इकमात्र वारिस होने से इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 385, 392, 391 कुल खसरा 03 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 489 490, 491, 492, 493,. 494, 495, 496, 501, 502, 503, 504 कुल खसरा 12 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में प्रार्थीया को 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज करने तथा अप्रार्थीगण को 1/2 हिस्से (पृथक–पृथक 1/8, 1/8 का खातेदार) दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलों के संबंध में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा लिखत बहस के साथ निम्न कानूनी उद्धरण पेश किये गये–

1. 1983 RRD 286
   SDO empowerd v/s 136 to correction in annual register [jamabandi] No order sought to alter reeord of rights prepared v/s 114 names of appellants entereds, entered in jamabandi without any basis which error could be corrected v/sm 136.
2. 1997 RRD 504[Para 6]
   सैटलमेंट ऑपरेशन समाप्त होने के पश्चात उनके द्वारा राजस्व रेकर्ड में की गई गलत एन्ट्री को सुधारने का अधिकार केवल लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (SDO) को है
3. 1988 RBJ 188
   सेटलमेंट वालों द्वारा की गई कार्यवाही एफेक्टेड पक्षकार को नोटिस दिये बिना की गई है जो शुन्य Nullity है।
4. 1998 RBJ 43, 2017 [1] RRT 471
   किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार नामान्तरकरण खोलने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान से जांच व सुनवाई किया जाना आवश्यक है जो नहीं की गई एवं क्लाश I वारिस के होते क्लाश II के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता। जबकि मृतक चमना पुत्र भीमा सीरवी की एकमात्र पुत्री प्रार्थीया रबी बाई है जिसे नहीं सुना गया।
5. 1998 RBJ 163
   During settlement opration Notional share of the cosharers cannot be changed Evenby consent of the parties.
6. 1998 RBJ 290 [Para 15]
   Settlement authorities must repeat the previous entries unless change occurred as result of competent authority or succession or tranter or by a credited mutation order.
7. 2015DNJ [Rev.] 97
8. 1995 DNJ [RAJ.] 540 [Para 7,3 to 5]
9. 2013 [2] DNJ [REV.] 100 [Para 9,11,15]

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये अप्रार्थी संख्या 1/2 व अप्रार्थी संख्या 2/4 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में जवाब/आपत्ति में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम खुडाला के गत् खसरा नंबर 385, 391 व 392 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा का भीमा के दोनो पुत्रो चमना व माना के बीच बंटवाडा होने से बंटवाडा का नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 07.05.1972 को सरपंच ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा स्वीकृत करते हुये चमना का 1/4 हिस्सा एवं माना का 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया, जो नामान्तरकरण संख्या 240 सैटलमेंट पुर्व की कार्यवाही होने से उक्त म्यूटेशन के जरिये हुये इन्द्राजात को

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया को प्रोपर सुट वाद घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत करना होगा तथा इसके साथ ही सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान् तैयार खसरा प्रपत्र, मिलान क्षेत्रफल, पर्चा खतौनी के अवलोकन से भी प्रमाणित हैं कि भू0 प्रबन्ध अधिकारीयों व कर्मचारियो द्वारा रिकार्ड में दर्ज खातेदार के आवेदन पत्र पर पत्रावली कायम करते हुये समुचित आदेश पारित कर राजस्व रिकार्ड में बतौर सह खातेदार दर्ज चमना पुत्र भीमा हि0 1/4 की जगह नवा गोद पुत्र चमना 1/4 हिस्सा दर्ज किया। इस प्रकार सैटलमेंट विभाग द्वारा भी किसी प्रकार की त्रुटि उक्त प्रकरण में किया जाना प्रमाणित नहीं है। जिससे न्यायालय को यह तय करना होगा कि आया उक्त प्रकरण धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट. के तहत एस.डी.ओ. को सुनने का अधिकार है अथवा नहीं ? इसके साथ ही विद्वान वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि वर्णित भूमि के संबंध में पुर्व में अप्रार्थीगण के मध्य दावा इस न्यायालय में पेश हुआ था, जो वाद निर्णित हो चुका है, ऐसे में भी धारा 136 के तहत उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। विद्वान वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा अपनी दलीलों के संबंध में निम्न कानूनी उद्धरण पेश कियें–

1. आरआरटी 2011(1) पेज 67 (पैरा 7)
2. आरआरटी 2017(2) पेज 1264 (पैरा 9,10)
3. आरआरटी 2022(2) पेज 1284 (पैरा 5, 9, 13)
4. आरआरटी 2023(2) पेज 799 (पैरा 7, 8)

अप्रार्थी सं 1/3, 1/5 से 1/7 के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी तथा अप्रार्थी सं 3/1 से 3/4 के अधिवक्ता श्री मूलसिह यादव ने भी बहस में वकील प्रार्थी की दलीलों का खण्डन कर आपत्ति में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही प्राप्त हो सकता है। हस्तगत प्रकरण धारा 136 एलआर के प्रावधानों के तहत गवर्न नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई।

वकील प्रार्थी ने पुनः बहस कर दलील दी कि हस्तगत प्रकरण में नवा को चमना के द्वारा गोद लिये जाने का कोई प्रमाण रिकार्ड पर नही है। यदि नवा को चमना का गोद माना जाता तो चमना का सम्पूर्ण 1/2 हि. गोदपुत्र को जाना चाहिये था परंतु भू–प्रबंध विभाग द्वारा माना के सभी चारो पुत्रों में समान रूप से 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेंण्ट को राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को बेवान हस्तांतरण अथवा न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है जबकि उक्त प्रकरण में यह प्रमाणित है कि प्रथम सेटलमेंण्ट में भूमि चमना व माना दोनों के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी जो दुसरे सेटलमेंण्ट में परिवर्तित करते हुये पर्चा लगान सं. 174 में एवं सेटलमेंट के गिराल बंदोबस्त 2037 से 2056 में माना के चारों पुत्रों के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया है जिसको दुरूस्त कराने की अधिकारी प्रार्थीया होने से प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा भू–प्रबंध विभाग की त्रुटियों को शुद्ध करने के अधिकार बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी में निहित होने से प्रकरण न्यायालय के समायत का है। प्रार्थीया स्व. चिमना की इकलौती पुत्री है तथा स्व0 चिमना द्वारा कोई गोदनामा नही किया गया है। इस तथ्यों की पुष्टि में बतौर मौखिक साक्ष्य प्रार्थीया रबी का शपथ पत्र एवं पडौसी समाराम पुत्र सवदाराम रेबारी का शपथ पत्र पेश किया है तथा निर्वाचक नामावली विधानसभा क्षेत्र बाली के भाग सं 5 वर्ष 1980 की प्रति भी पेश की है तथा न.पा. खुडाला फालना के वार्ड सं 16 की पार्षद ममता चौधरी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रतिपक्ष नेता द्वारा जारी प्रमाण भी पेश किया है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनना साबित होने से भू–प्रबंध विभाग की त्रुटि को शुद्ध किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतो एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतो पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रथम सेटलमेंण्ट के समय वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला के गत खसरा नंबर 385, 392, 391 कुल खसरा 03 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा में चमना व माना पिता पिसरान भीमा कौम सिरवी सा.देह खातेदार .खतौनी संवत 2009 से 2028 में दर्ज थें। संवत 2027 से 2030 मे भी उक्त इन्द्राज को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरणकरण सं 240 दिनांक 07.05.1972 के जरिये वादग्रस्त भूमि में दर्ज प्रविष्टि चमना, माना पिता भीमा कौम सिरवी की जगह चमना पुत्र भीमा 1/4 और माना पुत्र भीमा सिरवी सा.देह खातेदार दर्ज किया तथा नामांतरणकरण के कॉलम सं. 14 में जरिये लिखत बंटवाडा दिनांक 07.04.1944 के संवत 2000 चैत्र सुद चौदस के अनुसार नामांतरणकरण भरा गया। इस प्रकार उक्त नामांतरणकरण की प्रविष्टियों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरणकरण

पेज लगातार.....06

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं0 321/2015 GCMS No 2015/00152
अनवान रबी देवी बनाम नवा के कामु भूरी देवी वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीया के पिता चमना के 1/2 हिस्सा की जगह 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया जो बिना किसी बेचान हस्तांतरण के किया गया। जिस बंटवाडा लिखत दिनांक 07.04.1944 का उल्लेख नामांतरणकरण में हैं। उक्त बंटवाडा लिखत पर स्व0 चमना के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नही है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा पत्रक के कॉलम सं. 22 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार चमना पुत्र भीमा 1/4, भुरा पुत्र माना हि. 1/4, चेला पुत्र माना हि. 1/4, दुदाराम पुत्र माना हि. 1/4 जाति सिरवी सा. देह खातेदार दर्ज है तथा कॉलम सं. 24 में चमना पुत्र भीमा हि. 1/4 को काट–छांट कर नवा गोद चमना दर्ज किया तथा कॉलम सं 25 में नोट अंकित किया गया कि श्रीमान ए.आर साहब पार्टी सं. 2 आदेश पर्चा पृष्ठ दिनांक 29.10.72 से खसरा नंबर 489 से 496 तक व 501 से 504 तक चमना/भीमा के बजाय नवा गोद चमना के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार खसरा पत्रक में कांट–छांट कर चमना पुत्र भीमा की जगह नवा गोद चमना दर्ज किया जाना अपने आप में संदेहास्पद है। इसी आशय का इन्द्राज पर्चा लगान 174 में भू–प्रबंध विभाग में किया गया। सैटलमेंट पश्चात बनी जमाबंदी संवत 2044 से 2047 व संवत 2064 से 2067 में भी मिलान क्षेत्रफल अनुसार खुडाला के गत खसरा नबर 385, 392, 391 से बने हाल खसरा नंबर 489 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 502, 503, 504 कुल खसरा 12 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में नवा गोद चमना का 1/4 हि. तथा चेला, दुदा का क्रमाश 1/4, 1/4 हिस्सा तथा भूरा फौत होने से उनके वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा के इन्द्राज दोहराये जाते रहें। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि नामांतरणकरण सं 240 स्वीकृती दिनांक 07.05.1972 के जरिये प्रार्थिया के पिता के हकहिस्से में बिना किसी विधिमान्य दस्तावेज के छेडछाड की गई है तथा पश्चात भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा भी रिकार्ड में दर्ज चमना पुत्र भीमा हिस्सा 1/4 की जगह नवा गोद चमना दर्ज किया गया। जो इन्द्राज चमना के वारिस पुत्री प्रार्थीया रबी को सुने बिना किया गया। अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्तागणों द्वारा ना तो बहस के दौरान गोदनामा का कोई साक्ष्य पेश किया एवं न ही कोई जवाब/आपत्ति के साथ गोदनामा का दस्तावेज पेश किया जिससे अप्रार्थीगण की यह दलील मानने योग्य नही है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सही है तथा उपखण्ड अधिकारी को धारा 136 के तहत उक्त प्रकरण में कार्यवाही के अधिकार नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनुसार भू–प्रबंध विभाग को पूर्व में दर्ज इन्द्राज को दोहराने मात्र के ही अधिकार प्राप्त है। बेचान, हस्तांतरण अथवा न्यायालय के आदेश के सिवाय भू–प्रबंध विभाग को पूर्व में दर्ज इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नही है। परंतु फिर भी भू–प्रबंध विभाग द्वारा रिकार्ड में दर्ज चमना पुत्र भीमा को काट कर नवा गोद चमना दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग की तमाम कार्यवाही संदेहास्पद होने तथा अधिकारिता से परे होने से तथा भू–प्रबंध कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी को अधिकार प्रदत्त होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खुडाला तहसील बाली में स्थित भूमि गत खसरा नंबर 385, 392, 391 कुल खसरा 03 कुल रकबा 83 बीघा 04 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 489 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 502, 503, 504 कुल खसरा 12 कुल रकबा 13.63 हैक्टर में प्रार्थीया को पुश्तैनी भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करने तथा 1/2 हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा (तथा पृथक–पृथक प्रत्येक अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 1/8, 1/8 हिस्सा) इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार रेकर्ड में अमलदरामद के लिये तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का खुडाला को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(श्री दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 29/8/024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner